

कुलसचिव कार्यालय
गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर-263145

पत्रांक:- आर/डी0आर0/459
दिनांक:- 12.09.2023

कार्यालय आदेश

13

छात्रों की फीस वापसी के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों (D.O. No. F.2-71/2022 (CPP-II) दिनांक जुलाई 03, 2023) को इस विश्वविद्यालय में लागू किये जाने हेतु कुलपति महोदय ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। तदनुसार शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिये दिनांक 30.09.2023 तक विद्यार्थियों के सभी प्रवेश निरस्तीकरण/प्रवास (all cancellations of admissions/migrations) की दशा में पूर्ण शुल्क वापसी (zero cancellation charges) की जायेगी उसके बाद दिनांक 31.10.2023 तक प्रवेश निरस्तीकरण/प्रवेश वापस लेने पर प्रक्रिया शुल्क के रूप में अधिकतम धनराशि रू0 1000.00 (एक हजार) तक की कटौती करते हुए छात्रों को पूर्ण (शेष) शुल्क वापसी सुनिश्चित की जाएगी तथा इसके पश्चात प्रवेश निरस्तीकरण/प्रवेश वापस लेने की दशा में पूर्व में निर्गत कुलसचिव कार्यालय के कार्यालय आदेश सं0 R/2322 दिनांक 29.05.2020 के अनुसार शुल्क वापसी सुनिश्चित की जाएगी।

कुलसचिव
कुलसचिव 12.09.2023

प्रतिलिपि:-

1. समस्त अधिष्ठाता
2. वित्त नियंत्रक
3. परीक्षा नियंत्रक
4. उप कुलसचिव/इन्चार्ज आई0सी0सी
5. इन्चार्ज विश्वविद्यालय वेबसाईट, विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु
6. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।